दिनांकः 15-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 24 घण्टे में सदोष मानव वध की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी पति को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त डंडा बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 14.09.2023 को वादी श्री आलोक कुमार पुत्र श्री पृथ्वी सिँह नि0 सरस्वतीपुरम थाना देबबन्द सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अपने जीजा द्वारा वादी की बहन के साथ मारपीट करना व मारपीट से बेहोश होने के बाद वादी की बहन की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध मे दाखिल की । जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 266/23 धारा 304 भादवि बनाम संदीप उपरोक्त के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कुतुबशेर को आदेश निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व मे मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त संदीप पुत्र स्वरूपदास नि0 न्यू शारदा नगर गली न0 4 थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को मात्र 24 घण्टे में मानकमऊ बस अडडे के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त डंडा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरी शादी अलका से करीब 10 वर्ष पूर्व हुई थी, परन्तु आज तक कोई सन्तान न होने के कारण हम दोनो मे अक्सर कलेश रहती थी। अलका पिछले कुछ दिनो से बीमार चल रही थी जिस कारण उसका स्वभाव चिडचिडा हो गया था। दिनांक 14.09.23 को अलका और मेरी नोक झोक हो गई थी। मैने अचानक आवेश मे आकर अलका के साथ हाथापाई व मारपीट कर दी थी जिससे वह बेहोश हो गई थी । मै डर गया था तथा घर से भाग गया था। बाद में पता चला कि उसकी मृत्यु हो गयी है ।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त–

संदीप पुत्र स्वरूपदास नि0 न्यू शारदा नगर गली न0 4 थाना कुतुबशेर सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण

घटना मे प्रयुक्त डंडा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री सचिन पुनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. का0 272 सदींप थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

दिनांक: 15.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा 10 हजार का इनामी बदमाश घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा व 03 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा गोकशी की घटनाओ को रोकने व गोकशी के वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 14/15.09.2023 की रात्रि में थाना कोतवाली देहात पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 02 बाइक सवार बदमाश ग्राम नन्दी फिरोजपुर की तरफ आने वाले हैं, जिनके पास अवैध असलहा भी है। मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस ग्राम नन्दी फिरोजपुर के पास मुबारकपुर जाने वाले रास्ते पर **चेकिंग** करने लगी तो सामने से आ रहे 02 बाइक सवार सदिंग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया तो दोनो व्यक्ति पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग करके ग्राम नन्दी फिरोजपुर के जंगल की तरफ भागे। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा भी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी। फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया तथा इसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश का नाम **आकिल पुत्र शकील निवासी ग्राम शेखपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** है। बदमाश आकिल उपरोक्त **10 हजार का इनामी अभियुक्त** है जो थाना **सदर बाजार से गोकशी के मु0अ0सं0 378/2023 धारा 3/5क/8 CS Act में वांछित चल रहा है** तथा थाना कोतवाली देहात का **हिस्ट्रीशीटर** अभियुक्त भी है। इसके अलावा इस पर जनपद के विभिन्न थानो में गंभीर धाराओ में कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं। घायल/गिरफ्तार बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा फरार बदमाश की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर **मु0अ0सं0 319/2023 धारा 307/34 भादवि व 3/25/27 शस्त्र अधि0** पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त आकिल उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 24/25.08.23 की रात्रि में मैने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राम जन्धेडी के जंगल में गोकशी की थी । मुझे पता था कि पुलिस मेरी तलाश कर रही है। मैने यहाँ से कहीं दूर भागने की योजना बनायी और मैं अपने साथी भूरा के साथ मोटरसाइकिल पर अपने घर से ग्राम नन्दी फिरोजपुर होते हुए बाईपास की तरफ जा रहा था कि रास्ते में पुलिस की चेकिंग देखकर पकडे जाने के डर से हमने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. आकिल पुत्र शकील निवासी ग्राम शेखपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 02 जिंदा व 03 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल स्पलैंडर प्लस

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 05/19 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना को0देहात सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 71/20 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना को0देहात सहारनपुर
3. मु0अ0स0 123/20 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना को0देहात सहारनपुर
4. मु0अ0स0 152/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात सहारनपुर
5. मु0अ0स0 153/21 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना को0देहात सहारनपुर
6. मु0अ0स0 168/20 धारा 2/3 गैग्स्टर एक्ट थाना को0देहात सहारनपुर
7. मु0अ0स0 269/20धारा 307 भादवि थाना को0देहात सहारनपुर।
8. मु0अ0स0 270/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0देहात सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 378/23 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 319/23 धारा 307/34 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना को0देहात सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज चाहल, थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. उ0नि0 अतुल कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3. उ0नि0 दीपचन्द थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
4. है0का0 अजीत मलिक थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
5. है0का0 लक्ष्मीचन्द थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
6. है0का0 विकास थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
7. का0 रवि राठी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
8. का0 मोनू थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

दिनांक:15-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा मुस्लिम विवाह अधिनियम के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभाकर कैन्तुरा के कुशल नेतृत्व मे गंगोह पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 231/23 धारा 498ए/323/354/504/307/325 भादवि व 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम से सम्बन्धित 01 वांछित **अभियुक्त शादाब पुत्र स्व इकराम कुरैशी निवासी मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर** को ननौता-गंगोह मुख्य रोड कस्बा गंगोह से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त शादाब उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मेरा निकाह करीब 8 साल पहले साबिया पुत्री मकबूल अहमद कस्बा गंगोह से हुआ था। मेरा यह दूसरा निकाह है । निकाह के बाद साबिया को कोई औलाद न होने की वजह से हमरे बीच हमेशा लड़ाई-झगड़ा करके मारता पिटता रहता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शादाब पुत्र स्व इकराम कुरैशी निवासी मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 उ0नि0 प्रवेज कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर

2.कान्स 1812 सचिन शर्मा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

3.कान्स 2542 राहुल कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर

दिनांक:15-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 12 बोतल देशी शराब चार्ली संतरा हरियाणा मार्का के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद मे नशीले पदार्थो /अवैध मदिरा का कारोबार करने वाले अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट के कुशल नेतृत्व मे गठित टीमो द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व तलाश वांछित व्यक्ति के दौरान 01 अभियुक्त **वसीम पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम लोधीबांस थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को मुखबिर की सुचना पर अकबरपुर बांस के निकट यमुना नदी के किनारे से हिरासत पुलिस में लेकर तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल देशी शराब चार्ली संतरा हरियाणा मार्का बरामद हुयी । अभियुक्त वसीम उपरोक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के सम्बन्ध मे अभियुक्त वसीम उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 136/23 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जी रही है ।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मै मजदूरी करता हूँ । मेरे परिवार की स्थिति कमजोर है, इसलिए मैं पैसे कमाने के लालच में मै हरियाणा से देशी शराब सस्ते दामो में खरीदता हूँ व अधिक दामो पर बेच देता हुँ। आज मैं अपने यहाँ शराब बेचने ही जा रहा था कि रास्ते में पुलिस ने मुझे पकड लिये । मैं बेचने वाले का नाम पता नही जानता ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

वसीम पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम लोधीबांस थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल देशी शराब चार्ली संतरा हरियाणा मार्का बरामद हुयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. प्र0नि0 राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 गजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. का0 1176 रवि कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

दिनांकः 15-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई मोटरसाईकिल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 12/09/23 को थाना मण्डी जनपद सहारनपुर के मण्डी समीति से 01 मोटर साईकिल चोरी हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर सूचना प्राप्त होने पर मु0अ0सं0- 291/23 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद मे वाहन चोरी की घटनाओ को रोकने व वाहन चोरी के अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मण्डी श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस द्वारा मण्डी समीति से चोरी की गयी मोटर साईकिल के साथ 01 अभियुक्त **फराज पुत्र रियाज निवासी ग्राम बम्बयाला थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** के गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को समय से माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।

पूछताछ का विवरण- अभि0 फराज ने पूछताछ में बताया कि सहाब यह मोटर साईकिल मैने दिनांक 12/09/23 को मण्डी समीति से चोरी की थी और आज मैं इस मोटर साईकिल को बेचने जा रहा था कि आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फराज पुत्र रियाज निवासी ग्राम बम्बयाला थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 चोरी की मोटर साईकिल रजि0 न0- UP11BK6822

आपराधिक इतिहास अभियुक्त फराज उपरोक्तः-

1. मुं0अ0सं0- 548/19 धारा 379/411 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1. उ0नि0 सोनू राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 1830 शुभम सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. हे0का0736 दीपक नागर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. का01826 मोनू कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक: 15.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमें में वांछित 01 और अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल (पाठल लोहा) बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 13.9.2023 को वादी सुशील कुमार पुत्र पल्टूराम निवासी ग्राम ग्राम सिम्भालकी गुज्जर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर ने थाने पर आकर लिखित सूचना दी कि मेरे पिता श्री पल्टूराम पुत्र जीराम नि0 ग्राम सिम्भालकी गुज्जर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर उम्र करीब 65 वर्ष को जंगल ग्राम सिम्भालकी गुज्जर थाना फतेहपुर में 1. इकराम तेली 2. इकबाल 3. इमरान नि0 गण ग्राम चाँदपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ने मिलकर धारदार हथियार से हत्या कर दी है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना फतेहपुर मु0अ0सं0 166/23 धारा 302/201 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया एवं विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर महोदय द्वारा प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुये अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये थे। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे एवं थानाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.09.2023 को निर्मम हत्या से सम्बन्धित मु0अ0सं0 166/23 धारा 302/201 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त **इमरान पुत्र आबिद नि0 ग्राम चाँदपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को घटना में प्रयुक्त आला कत्ल के साथ बड़कला फ्लाईओवर के पास से समय 05.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। दो अन्य अभियुक्तों 1. इकबाल पुत्र इरफान 2. लाला उर्फ इकराम तेली नि0 गण ग्राम चाँदपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को दिनांक 13.9.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

अभियुक्त इमरान उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 12.9.2023 की शाम के समय मैं और हमारे गांव के लाला उर्फ इकराम पुत्र इस्लाम व इकबाल पुत्र इरफान तीनों मिलकर लाला राजकुमार मित्तल के बाग की नोर से तीन पेड़ यूके लिप्टिस व एक पेड़ पोपलर काटकर अपने रेहडे में भर रहे थे कि तभी मौके पर बाग का रखवाला पल्टूराम आ गया था। उसने हमारा नाम लेकर हमारी शिकायत बाग के मालिक से करने को कहा हमने उसे लालच दिया नही मानने पर डराया धमकाया और उसके विरोध करने पर हमे गुस्सा आ गया। इकबाल ने पल्टूराम के हाथ से फावड़ा छीनकर फावडे से व लाला उर्फ इकराम और मैंने अपने अपने हाथो में लिये पाठल से पल्टूराम के सिर पर वार किये, जिससे पल्टूराम मौके पर ही मर गया। हमने बाग के बराबर में मतलूब पुत्र असगर निवासी ग्राम चाँदपुर थाना गागलहेड़ी के ईंख के खेत में छिपा दिया था। इस दौरान हमारे कपड़ो पर भी पल्टूराम का खून लग गया था। इस घटना के बाद मैं मौके से अपनी मोटर साईकिल लेकर भाग गया और पीछे पीछे इकबाल और लाला उर्फ इकराम भी मोटर साइकिल रेहड़ा लेकर भाग आये थे। मैंने अपने हाथ में लिया पाठल को

मोटर साईकिल की तरफ आते हुये मतलूब के खेत में ईंख के मेहडे में छिपा दिया था, तभी उस चकरोड पर आगे चलकर सड़क से उतकर चकरोड पर ही हमारी ओर आते हुए पल्टूराम के लड़के व अन्य पारिजन दिखाई दिये थे और बिना उनसे बात करे हम तेजी से वहां से निकल गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इमरान पुत्र आबिद निग्राम चाँदपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 0

बरामदगी का विवरण-

01 अदद लोहा (आला कत्ल) (अभियुक्त इमरान उपरोक्त की निशादेही पर)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास अभियुक्त इमरान उपरोक्तः-

(I) मु0अ0सं0 260/11 धारा 363/366/376/504/506 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

(II) मु0अ0सं0 311/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

(III) मु0अ0सं0 166/23 धारा 302/201 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री अजितेष कुमार क्षेत्राधिकारी सदर सहारनपुर
2. श्री प्रमोद कुमार, थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री नवीन कुमार सैनी थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. है0का0 610 विपिन राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
8. का0 2327 सतीश थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

दिनांक: 15-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 पिस्टल .32 बोर व 08 अदद जिन्दा करातूस .32 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी/धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग हेतु चलाये गये अभियान के दौरान **अभियुक्त शिवम पुत्र सुशील निवासी रामघाट थाना पुरवाला जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश** को आज दिनांक 15.09.2023 को ग्राम बैंगनी मन्दिर के पास सडक पुख्ता से 01 देशी पिस्टल .32 बोर मय 08 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना **स्थानीय पर मु0अ0सं0 144/2023 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम शिवम के पंजीकृत** किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त शिवम ने पूछने पर बताया कि यह पिस्टल मुझे कशमीर पुत्र महेन्द्र सिह निवासी नवादा जिला सिरमोर हिमाचल प्रदेश ने ऱखने के लिए दिया था ओर कहा था कि मै बाहर जा रहा हूँ वापस आकर ले लूगा मेरी रिश्तेदारी ग्राम बैगनी मे है पिस्टल को लेकर मै शाम को ग्राम बैगनी आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

- अभियुक्त शिवम पुत्र सुशील निवासी रामघाट थाना पुरवाला जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 पिस्टल .32 बोर
- 08 अदद जिन्दा करातूस .32 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. व0उ0नि0 रविन्द्र सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 जितेन्द्र राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. का0 1034 रविन्द्र कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. का0 2077 मनोज कुमार थाना चिलकानाक सहारनपुर।

दिनांक: 15-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **अजीम मलिक पुत्र नौशाद मलिक नि0 मौ0 आली सराय कलंदर बक्श थाना मण्डी सहारनपुर** नियत दिनांक-05.10.2023 वाद सं0 194/21 मु0अ0सं0 401/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना मण्डी सहारनपुर स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कक्ष न0 12 सहारनपुर/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अजीम मलिक पुत्र नौशाद मलिक नि0 मौ0 आली सराय कलंदर बक्श थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1) उ0नि0 ललित तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2) का0 2180 रवीन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3) का0 2199 विष्णु चौधरी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर